कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

//निविदा आमंत्रण सूचना //

BOT पद्धति से शेड (छानी) निर्माण कर विज्ञापन कार्य करने हेतु

कमांक –1783/भ.नि.अ.प./न.पा.नि./2020 रायपुर दिनांक 02/12/2020

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **नगर पालिक निगम रायपुर अन्तर्गत के चौक–चौराहों पर ट्रेफिक सिग्नल में राहगीरों हेतु बी.ओ.टी. पद्धति से** 05 वर्ष के लिए **शेड (छानी) निर्माण करने एवं विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु** इच्छुक व्यक्ति/एजेंसी/फर्म/कंपनी, जो नगर निगम रायपुर में विज्ञापन एजेंसी के रूप में पंजीकृत हो, से अधिकतम दर प्राप्त करने सील बंद लिफाफे में **दिनांक** 23/12/2020 को **अपरान्ह 5.00 बजे** तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा में भाग लेने वाले निविदाकार एजेंसी का नगर निगम रायपुर में विज्ञापन कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार का बकाया नहीं होना चाहिए, इस संबंध में एजेंसी को बकाया नहीं होने का स्वप्रमाणित पत्र जमा करना होगा। निविदा द्वि लिफाफा पद्धति में रहेगी, जिसके अन्तर्गत **लिफाफा 'अ' में** (1) अमानत राशि का FDR/DD, (2) निविदा प्रपत्र के मूल्य का डी.डी. (3) विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (4) निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड की छायाप्रति (5) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति (6) पिछले 03 वर्ष के आयकर रिटर्न की छायाप्रति (7) बकाया नहीं होने संबंधी स्वप्रमाणित पत्र एवं **(8) लगाये जाने वाले शेड का स्ट्रक्चरल ड्राईंग एवं डिजाईन नगर निगम रायपुर में पंजीकृत संरचना इंजीनियर से प्रमाणित कराकर इसकी प्रति रखना होगा। लिफाफा 'ब' में** निविदा दर डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र में अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए। निविदादर में कांट–छाट नहीं होना चाहिए। दोनों लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सीलबंद कर जमा करना होगा। लिफाफा 'अ' में अमानत राशि का FDR/DD, निविदा प्रपत्र का डी.डी., विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन व आयकर रिटर्न की छायाप्रति एवं किसी भी प्रकार का बकाया नहीं होने संबंधी स्व प्रमाणित पत्र पाये जाने **एवं लगाये जाने वाले शेड का स्ट्रक्चरल ड्राईंग एवं डिजाईन को समिति द्वारा स्वीकृत किये जाने पश्चात् ही संबंधित एजेंसी का** लिफाफा 'ब' खोला जावेगा। निविदा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा किया जा सकेगा। निविदा दूसरे दिन उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधी के समक्ष **दिनांक** 24/12/2020 को **अपरान्ह 5.00 बजे** को खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र नगर निगम के नवीन मुख्यालय (कार्यालय) भवन के नगर निवेश शाखा के रूम नं. 311 में जमा की जावेगी।

निविदा प्रपत्र मूल्य	एक हजार रूपयें, वापसी योग्य नहीं
निविदा अवधि	05 वर्ष
प्रस्तुत ऑफर की वैधता अवधि	90 दिन

क.	शेड हेतु प्रस्तावित स्थल	संख्या	न्यूनतम आफसेट राशि (01 वर्ष)	अमानत राशि
1.	जयस्तम्भ चौक	4	रू. 200/– प्रति व.फु.	5.00 लाख
2.	मरीनड्राईव चौक, तेलीबांधा (केनाल रोड)	3	रू. 200/– प्रति व.फु.	
3.	घड़ी चौक (कलेक्टोरेट)	3	रू. 200/– प्रति व.फु.	
4.	फाफाडीह चौक	4	रू. 200/– प्रति व.फु.	
5.	विवेकानंद आश्रम चौक	2	रू. 200/– प्रति व.फु.	
6.	भगत सिंह चौक	4	रू. 200/– प्रति व.फु.	
7.	पंडरी केनाल रोड चौक	3	रू. 200/– प्रति व.फु.	

टीपः– निविदा का विस्तृत विवरण नियम शर्तें एवं निविदा प्रपत्र नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamraipur.nic.in से डाऊनलोड किया जा सकता है। डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रू. 1000/– का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।

नगर पालिक निगम नगर निवेश विभाग रायपुर

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम, रायपुर

Scanned by CamScanner

नगर पालिक निगम रायपुर अन्तर्गत के चौक–चौराहों पर ट्रेफिक सिग्नल में राहगीरों हेतु बी.ओ.टी. पद्धति से शेड (छानी) निर्माण एवं विज्ञापन कार्य हेतु आमंत्रित निविदा की शर्ते

1. निविदा द्वि–लिफाफा पद्धति से होगा। **लिफाफा 'अ'** (1) अमानत राशि का FDR/DD, जो किसी राष्ट्रीयकृत / निजी बैंक से जारी हुआ हो, (2) निविदा प्रपत्र के मूल्य का डी.डी. (3) विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (4) निविदादाता / एजेंसी का पेन कार्ड की छायाप्रति (5) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति (6) पिछले 03 वर्ष के आयकर रिटर्न की छायाप्रति (7) बकाया नहीं होने संबंधी स्वप्रमाणित पत्र एवं (8) लगाये जाने वाले शेड का स्ट्रक्चरल ड्राईंग एवं डिजाईन नगर निगम रायपुर में पंजीकृत संरचना इंजीनियर से प्रमाणित कराकर इसकी प्रति रखना होगा। **लिफाफा 'ब'** में निविदा दर डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र में अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अक्षरों में लिखकर रखना होगा। निविदादर में कांट–छाट नहीं होना चाहिए। दोनों लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सीलबंद कर जमा करना होगा। **सर्वप्रथम लिफाफा–'अ' खोला जायेगा, जिसमें समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न होने साथ ही लगाये जाने वाले शेड का संलग्न किये गये स्ट्रक्चरल ड्राईंग एवं डिजाईन को समिति द्वारा स्वीकृत किये जाने पश्चात् ही संबंधित एजेंसी का लिफाफा 'ब' खोला जावेगा।**
2. निविदा हेतु प्रत्येक निविदाकार को एक निविदा फार्म भरना होगा, जिसमें अलग–अलग शेड हेतु अलग–अलग निविदा दर भरना होगा। प्रत्येक शेड के लिए जिस भी निविदाकार द्वारा अधिकतम् दर प्रस्तुत किया जायेगा, उसे सफल निविदाकार माना जायेगा अर्थात् अलग–अलग शेड हेतु अलग–अलग सफल निविदाकार हो सकते है।
3. निविदा हेतु अमानती राशि रू. 5.00 लाख का डिमांड ड्राफ्ट अथवा एफ.डी.आर. के रूप में जो जीवित हो, आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से जमा करना होगा।
4. अमानती राशि डिमांड ड्राफ्ट अथवा एफ.डी.आर. के रूप में जो कि राष्ट्रीयकृत / निजी बैंक से जारी किया गया हो एवं जीवित हो आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से जमा करना होगा।
5. समस्त दस्तावेजों में निविदाकार का सील एवं हस्ताक्षर अनिवार्यताः होना चाहिएं अन्यथा की स्थिति में प्रस्तुत दस्तावेज मान्य नहीं किया जायेगा।
6. **दर स्वीकृत होने की सूचना प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर इकरारनामा करना होगा। निविदा इकरारनामा करा लेने के बाद ही शेड निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। इसके लिए पृथक से कार्यादेश जारी की जायेगी। इकरारनामा न करने व कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा निविदा निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही की जा सकेगी। कार्यादेश जारी दिनांक से 01 माह का समय शेड बनाने एवं विज्ञापन प्रारम्भ करने हेतु दिया जायेगा एवं कार्यादेश जारी दिनांक से एक माह पश्चात् विज्ञापन हेतु किराया प्रारम्भ माना जावेगा।**
7. अनुबंध 05 वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष समाप्ति पश्चात स्वीकृत वार्षिक निविदा दर में 5 प्रतिशत की क्रमोत्तर वृद्धि की जावेगी। राशि निर्धारित अवधि में जमा न कराये जाने पर कुल देय राशि में प्रतिमाह 1 प्रतिशत की दर से अधिभार लिया जायगा।
8. **निविदा 05 वर्ष के लिए आमंत्रित की गई है। परन्तु निविदा राशि निविदा प्रपत्र में प्रथम वर्ष के लिए भरनी होगी तथा प्रत्येक वर्ष समाप्ति पश्चात स्वीकृत वार्षिक निविदा दर में 05 प्रतिशत की क्रमोत्तर वृद्धि की जावेगी। निविदा स्वीकार होने पर 1 वर्ष का किराया में से, दर स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर 30% राशि जमा करना अनिवार्य है तथा शेष राशि 2 माह के भीतर जमा करना होगा। प्रत्येक आगामी वर्ष का किराया वर्ष प्रारंभ होने के 2 माह पूर्व वृद्धि सहित जमा करना होगा। राशि निर्धारित अवधि में जमा न कराये जाने पर कुल देय राशि में प्रतिमाह 1 प्रतिशत की दर से अधिभार लिया जायेगा। भुगतान तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार नगर निगम को होगा। ऐसी स्थिति में समस्त सम्पत्तियों का मालिकाना हक नगर निगम का होगा।**

क्रमशः पृष्ठ 02

Scanned by CamScanner

9. शेड निर्माण एवं इसमें विज्ञापन कार्य के लिए बी.ओ.टी. **(Built Operate & Transfer) आधार पर, 05 वर्ष की अवधि हेतु आमंत्रित की गई है। अवधि समाप्ति पश्चात् सभी स्थापित** शेड **स्वमेव नगर निगम रायपुर को हस्तांतरित हो जायेंगे। इस समय** शेड **की स्थिति स्ट्रक्चर सर्टीफिकेट के अनुसार होना चाहिएं।**
10. विज्ञापन फलक शेड के ऊपर आगे–पीछे एवं दाये–बाये अर्थात् चारो तरफ होगा, जिसका आकार चौड़ाई में रोड/शेड की चौड़ाई से बाहर नहीं होनी चाहिएं एवं ऊचांई 10′ रहेगी। साथ ही शेड के भीतर भाग में लगाये जाने वाली विज्ञापन फलक का आकार शेड की लम्बाई से बाहर नहीं होनी चाहिएं एवं ऊंचाई 5′ रहेगी, जो कि शेड के आंतरिक हिस्से में दाये एवं बाये दोनों तरफ होगा, भीतरी भाग का यह दोनों विज्ञापन फलक नगर निगम रायपुर के लिये पब्लिक वेलफेयर स्कीम एवं अन्य शासकीय योजनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए आरक्षित रहेगा। निगम के निर्देशानुसार सफल निविदाकार को शेड में इसकी व्यवस्था किया जाना होगा।
11. शेड में विज्ञापन का क्षेत्रफल आवश्यकतानुसार घटायी या बढ़ाई जा सकती है, घटाये या बढ़ाये जाने की स्थिति में अनुपातिक रूप से राशि जमा कराया जाना होगा।
12. शेड निर्माण आई.एस.आई. धारक कंपनी/फर्म द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार होगा। इस संबंध में स्ट्रक्चर डिजाईन एवं स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा कराना होगा।
13. कार्य में लगने वाले सभी प्रकार के प्लांट एवं मशीनरी एजेंसी के द्वारा स्वयं प्रबंध किया जायेगा।
14. कार्य के दौरान होने वाले गढ्ढे एवं रिपेयरिंग का कार्य एजेंसी के द्वारा ही किया जायेगा। इसके लिए अतिरिक्त रूप से निगम द्वारा किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति नहीं दिया जायेगा।
15. कार्य के दौरान कन्स्ट्रक्शन मटेरियल को डम्प करने से यातायात प्रभावित नहीं होना चाहिएं।
16. कार्य के दौरान कार्य स्थल को बेरिकेडिंग करना होगा।
17. नये स्थल पर शेड निर्माण के समय फाउंडेशन खोदते समय यूटिलिटी लाईन जैसे–पाईप लाईन, सीवर लाईन, ओ.एफ.सी. केबल एवं रोड क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिएं, क्षतिग्रस्त होने की दशा में एजेंसी/संस्था/ठेकेदार को स्वयं के व्यय से पुर्नस्थापित/मरम्मत/संधारण किया जाना होगा।
18. नये स्थल पर शेड निर्माण के समय सभी प्रकार का सुरक्षात्मक उपाय किये जाने की जिम्मेदारी एजेंसी/संस्था/ठेकेदार की होगी, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। शेड आंधी–तूफान या अन्य किसी कारण से आंशिक या पूर्ण रूप से ध्वस्त होने से जन/धन की हानि होने पर स्वयं जिम्मेदार होने के संबंध में निविदाकर को विज्ञापन (पंजीयन व विनियमन) उपविधि 2012 के निर्धारित प्रारूप में वचनबन्ध 50 रूपयें के गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र पर हस्ताक्षर कर नोटराईज्ड कराकर, अनुबंध के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
19. शेड स्थापित करने के उपरांत समस्त आवश्यक संधारण का कार्य यथा–साफ–सफाई, रंग–रोगन इत्यादि कार्य निविदाकार को स्वयं के व्यय से प्रतिवर्ष करना होगा तथा प्रतिवर्ष संधारण कार्य करने की जानकारी देना होगा।
20. शेड में विद्युत कनेक्शन हेतु सफल निविदाकार एजेंसी को अनापत्ति पत्र दिया जा सकेगा। विद्युत कनेक्शन निविदाकार को स्वयं के व्यय पर लेना होगा एवं देयकों का भुगतान उसे स्वयं करना होगा।
21. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
22. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के पास सुरक्षित है।
23. निविदा प्राप्तकर्ता एजेंसी द्वारा शेड स्थापित करने एवं उस पर प्रचार–प्रसार करने के अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति/एजेंसी/फर्म को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा।

क्रमशः पृष्ठ 03

Scanned by CamScanner

24. नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर ही शेड लगाना होगा। आवश्यकतानुसार स्थल परिवर्तन करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम, रायपुर को होगा।
25. शेड से किसी दूसरी एजेंसी का विज्ञापन छिपना नहीं चाहिएं अन्यथा की स्थिति में शेड को आगे–पीछे किया जाना होगा, जो एजेंसी को स्वयं के व्यय से करना होगा।
26. यह होर्डिंग/शेड निविदा समाप्ति के पूर्व भी कभी भी हटाया जा सकता है, ऐसी दशा में होने वाली हानि के लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी।
27. अन्य दूसरें विभागों से अनुमति लेने की स्थिति में एजेन्सी स्वयं के व्यय पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा।
28. निविदाकार एजेंसी स्थापित शेड में, शासन द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं एवं अश्लील विज्ञापनों का प्रदर्शन नहीं करेगा।
29. निविदाकार किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय या नगरीय निकाय आदि में कालीसूची में दर्ज न हो ।
30. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।
31. अमानत राशि का एफ.डी.आर निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति स्वरूप रहेगी एवं जिस विज्ञापन एजेन्सी की निविदा स्वीकृत होगी, उसे छोड़कर शेष का जमा एफ.डी.आर. वापस कर दी जायेगी एवं जिसकी स्वीकृत होगी उनका एफ.डी.आर. निविदा अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार वापस की जावेगीं।
32. कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालयीन दिवस एवं समय पर नगर पालिक निगम, रायपुर मुख्यालय भवन के रूम नं. 311 स्थित नगर निवेश शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
33. निविदा दर जी.एस.टी. सहित माना जायेगा। इसके लिए अलग से जी.एस.टी. राशि एजेंसी के द्वारा देय नहीं होगा।
34. विज्ञापन कार्य के संबंध में आदर्श विज्ञापन उपविधि 2012 में दिये गये नियम/शर्तो का पालन करना होगा, उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निविदा निरस्त करने संबंधी कार्यवाही की जायेगी।
35. विज्ञापन बुकिंग नहीं होने के समय बोर्ड पर "मोर रायपुर" का लोगो प्रदर्शित किया जाना होगा।

उपरोक्त शर्तो मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आयुक्त, नगर निगम द्वारा 15 दिनों का नोटिस दिया जाकर अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम, रायपुर

Scanned by CamScanner

निविदा प्रपत्र

प्रति,

नगर निवेशक,
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :— नगर पालिक निगम रायपुर अन्तर्गत के चौक—चौराहों पर ट्रेफिक सिग्नल में राहगीरों हेतु बी.ओ.टी. पद्धति से शेड (छानी) निर्माण किये जाने एवं विज्ञापन प्रदर्शित करने बाबत्।

संदर्भ :— नगर निगम रायपुर द्वारा जारी निविदा क्र....................जारी दिनांक ....।

———000———

क्र.	शेड हेतु प्रस्तावित स्थल का नाम	संख्या	न्यूनतम आफसेट राशि (एक वर्ष)	निविदा दर प्रथम वर्ष के लिए (राशि रू. में)
1.	जयस्तम्भ चौक	4	रू. 200/— प्रति व.फु.	
2.	मरीनड्राईव चौक, तेलीबांधा (केनाल रोड)	3	रू. 200/— प्रति व.फु.	
3	घड़ी चौक (कलेक्टोरेट)	3	रू. 200/— प्रति व.फु.	
4	फाफाडीह चौक	4	रू. 200/— प्रति व.फु.	
7	विवेकानंद आश्रम चौक	2	रू. 200/— प्रति व.फु.	
8	भगत सिंह चौक	4	रू. 200/— प्रति व.फु.	
9	पंडरी केनाल रोड चौक	3	रू. 200/— प्रति व.फु.	

क्रमशः पृष्ठ 02

Scanned by CamScanner

निविदा की समस्त शर्तो का हमारे द्वारा पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया गया है एवं सभी शर्ते हमें मंजूर है। **जिसके अनुसार निविदा दर में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि हमें स्वीकार है।** मैं यह भी घोषणा करता हूँ की मेरा या मेरी संस्था का नाम किसी भी विभाग में काली सूची में दर्ज नही है।

निविदाकर्ता एजेन्सी का नाम :–

हस्ताक्षर एवं पूर्ण नाम :–

पूर्ण पता :–

दूरभाष क. एवं मोबाइल क. :–

अमानति राशि रू. 5.00 लाख के एफ.डी.आर./DD का विवरण :–

Scanned by CamScanner

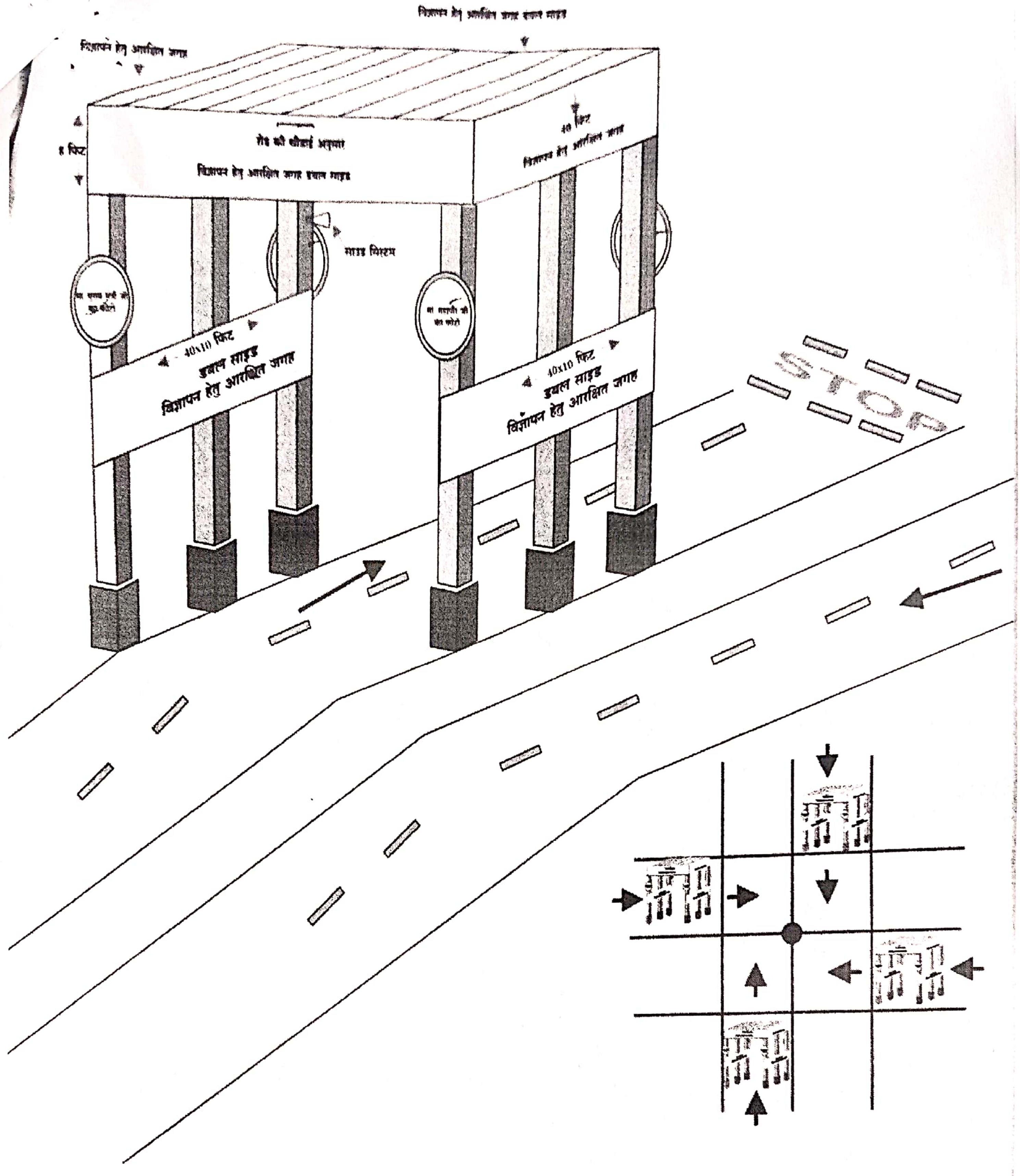

नोट :. उक्त स्थल पर साउंड सिस्टम भी लगाया जावेगा जिसमे निगम के द्वारा समय समय पर जारी सूचना सरकार के कार्यो की जानकारी ।
ट्रेफिक नियम/जागरूकता का संदेश के अलावा विज्ञापन भी चलेगा ।

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner